

उत्तर प्रदेश शासन  
महिला कल्याण अनुभाग-3  
संख्या- 914/60-3-15-13(11)14  
लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2015

शुद्धि पत्र

इस अनुभाग की अधिसूचना सं०-317/60-3-15, दिनांक 09.03.2015 द्वारा उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली (प्रथम संशोधन), 2015 निर्गत की गई है, जिसमें प्रस्तर-1 के बिन्दु-(2) में त्रुटिवश "They shall come into force at once. Medical and Monetary assistance to the victims, the State Government may notify an earlier date from which these Rules shall come into force." अंकित हो गया है, जिसे अब संशोधित रूप में निम्नवत पढ़ा जाये:-

"They shall come into force at once.


Provided that in cases of acid attack, in order to provide Medical and Monetary assistance to the victims, the State Government may notify an earlier date from which these Rules shall come into force."

2- उक्त अधिसूचना के अन्य प्रस्तर व बिन्दु यथावत रहेंगे।

रेणुका कुमार  
प्रमुख सचिव।

संख्या-914(1)/60-3-2015, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उ०प्र०।
  2. प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
  3. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
  4. समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
  5. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० शासन।
  6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य महिला कल्याण निगम लखनऊ।
  7. निदेशक, सूचना, उ०प्र० लखनऊ।
  8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ०प्र०।
  9. कोष कार्यालय को कोष की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  10. कम्प्यूटर सेल, महिला कल्याण निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  11. उप निदेशक (प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को उक्त संशोधित ज्ञाप को आगामी गजट में प्रकाशन हेतु।
  12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(नन्दलाल प्रसाद)  
उप सचिव।